

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

दिनांक :- 26/9/23

क्रमांक :- दुरुस्ती / 2023 / 368

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एव पटवारी हल्का सरदारगढिया, भरगाना व भूअभिलेख निरीक्षक नेठराना की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार / तहसीलदार भादरा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में चक 3 एम.एस.आर., 8 डी.पी.एन., 2 डी.पी.एन. तहसील भादरा जिला हनुमानगढ की वर्तमान जमाबन्दी में खाता संख्या. 99/11, 70/66, 88/8 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र. स.	ग्राम / चक	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1.	चक 3 एम.एस.आर., 8 डी.पी.एन.	99/11, 70/66	घोटीदेवी पुत्री चंदूराम	सुशीला पुत्री चंदूराम
2.				
3.	2 डी.पी.एन.	88/8		



सम / 2023 /

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ

दिनांक :- 26-9-23

प्रतिलिपी :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ

1. तहसीलदार (राजस्व) भादरा को भेजकर लेख है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश, विवाद एव बैक रहन न हो तो आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद / अंकन किया जाना सुनिश्चित करे।
2. प्रार्थी सुशीला पुत्री चन्दूराम को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

भादरा जिला हनुमानगढ

भादरा (जिला-हनुमानगढ)